

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर छ0ग0

दूरभाष नं0 07752-225545 फैक्स नं0 07752-225545 E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक/ 694/प्रयास/2018-19/

बिलासपुर दिनांक 04/06/2018

प्रयास आवासीय विद्यालय बालक/बालिका बिलासपुर में अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2018-19

—: विज्ञप्ति :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना यथा संशोधित वर्ष 2017 अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय (बालक एवं बालिका) बिलासपुर में हाईस्कूल उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिये कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के गणित एवं जीव विज्ञान संकाय की शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर तथा राज्य की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल एवं विधि (क्लेट) आदि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराये जाने की योजना है।

अतः इस क्षेत्र में सफल प्रतिष्ठित (पंजीकृत) कोचिंग संस्थाओं से विभाग द्वारा "रुचि की अभिव्यक्ति" के तहत उपर्युक्त विद्यालय के लिये प्रस्ताव आमंत्रित है :-

क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षा 11वीं में छात्रों की संख्या		
		गणित एवं जीव विज्ञान	विधि	योग
01	प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर	125	30	155

- 1 निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि - 25/06/2018 अपराह्न 3.00 बजे
- 2 निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना 25/06/2018 अपराह्न 04.00 बजे
- 3 पात्र पाये गये संस्थाओं का समिति के समक्ष एवं तकनीकी मूल्यांकन 26/06/2018 दोपहर 12.00 बजे
- 4 तकनीकी मूल्यांकन अंतर्गत संस्था के शिक्षकों द्वारा कक्षा प्रदर्शन (डेमो) 27,29 एवं 30/06/2018 प्रातः 11 बजे

से सायं: 05 बजे तक

प्रयास बालक एवं बालिका हेतु एक ही आवेदन एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा एवं लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय लिफाफा को खोलने की सूचना पृथक् से दी जायेगी। आवेदन पत्र रु. 5000/- का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन स्वयं या स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय राहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर में जमा करना होगा। डाक विभाग की गड़बड़ी के कारण विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाइट www.bilaspur.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं। प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति पर अग्रिम कार्यवाही किसी अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

यह रुचि की अभिव्यक्ति आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर के पत्र क्रमांक/92/प्रयास/2018-19/663 दिनांक 13.04.2018 में दिये निर्देश/सलग्न दिशा निर्देश (EOI) के अनुसार है, यदि इसमें कोई संशोधन शरान द्वारा किया जाता है, तो वह सभी को मान्य होगा।


कलेक्टर,
बिलासपुर (छ0ग0)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छ0ग0

“ रुचि की अभिव्यक्ति ”

प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में
अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के
लिए पंजीकृत कोचिंग संस्था का चयन –
वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020.
(दो वर्ष के लिये)

कलेक्टर
जिला – बिलासपुर छ0ग0

अंतर्वस्तु

1. पृष्ठभूमि	01
2. प्रयास कार्यक्रम	01
3. कार्यक्रम के संचालन की प्रक्रिया	01
4. विद्यालय जिसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है	01
5. सौंपे गये कार्य का उद्देश्य	01
6. कार्य क्षेत्र	02
7. कार्य प्रणाली	02
8. फैंकल्टी की अनिवार्य आवश्यक योग्यतायें	03
9. कक्षा का आकार एवं विषय	03
10. सेवा की अवधि एवं अनुबंध की अवधि	03
11. महत्वपूर्ण प्रदेय	04
12. भुगतान प्रणाली	04
13. महत्वपूर्ण प्रदर्शन निर्देशक	04
14. सुरक्षा निधि	07
15. रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुतीकरण	07
16. गोपनीयता	07
17. चयन की विधि	07
18. पात्रता मापदंड	10
19. मूल्यांकन मापदंड	10
20. रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुतीकरण (जमा करने हेतु)	11
प्रारूप - 1: आवेदन फॉर्म का प्रारूप	11
प्रारूप - 2: प्री-क्वालिफिकेशन के लिए चेकलिस्ट	12
प्रारूप - 3: दस्तावेज आधारित मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट	13
प्रारूप - 4: सौंपे प्रमाणपत्र का प्रारूप	14
प्रारूप - 5 (अ) वर्तमान फैंकल्टी	15
प्रारूप - 5 (ब) प्रस्तावित फैंकल्टी	15
प्रारूप - 6: वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप	15

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) बिलासपुर छ0ग0

दूरभाष नं0 07752-225545 फ़ैक्स नं0 07752-225545 E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिये पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण वर्ष 2018-19 एवं 2019-20

शैक्षणिक सत्र 2018-2019 एवं 2019-2020 के लिए पूर्ण आवासीय प्रयास विद्यालय के लिये कोचिंग फेकल्टी उपलब्ध कराने के लिए शर्तें -

1. पृष्ठभूमि

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनान्तर्गत "प्रयास" आवासीय विद्यालय संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत कक्षा 11वीं एवं 12वीं में गणित एवं जीव विज्ञान संकाय हेतु अध्यापन तथा JEE, NEET, PET एवं विधि (Clat) प्रवेश परीक्षाओं के लिये कोचिंग दी जाती है।

2. प्रयास कार्यक्रम

प्रयास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के प्रतिभावन एवं मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होकर अपना भविष्य बना सके। छात्रों के लिए सीटों का आरक्षण निम्नानुसार है:- अनुसूचित जन जाति - 50%, अनुसूचित जाति - 20%, पिछड़ावर्ग - 20 %, एवं सामान्य 10 %।

3. कार्यक्रम के संचालन की प्रक्रिया

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्र इन विद्यालयों में प्रवेशित किये जाते हैं। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित हैं। विद्यालय में प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है। प्रवेश के पश्चात् मूलभूत सुविधायें जैसे भोजन एवं निवास विभाग द्वारा छात्रों को दी जाती है। शिक्षण हेतु शिक्षक एवं अध्ययन सामग्री, चयनित संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। सभी अध्ययन सामग्री मूल्यांकन प्रणाली परीक्षा तथा परीक्षा की आवश्यक सामग्री भी चयनित संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

4. विद्यालय जिसके लिये रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है -

क्र.	विद्यालय का नाम	कक्षा 11वीं में छात्रों की संख्या		
		गणित एवं जीव विज्ञान	विधि	योग
01	प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर	125	30	155

5. सौंपे गये कार्य का उद्देश्य -

चयनित संस्था को सौंपे गये कार्य का उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार कर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है -

- कक्षा ग्यारहवीं (शैक्षणिक सत्र 2018-2019) एवं कक्षा बारहवीं (2019-2020) के लिए छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी के लिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी), सेंट्रली फन्डेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स (सीएफटीआई), पूरे देश में प्रवेश सहित, क्लेट जैसे पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु उचित शिक्षा।
- संस्थाओं द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं कैरियर काउंसलर प्रदान किया जाना।

6. कार्य क्षेत्र

चयनित संस्था के कार्य का क्षेत्र निम्न है -

- गणित, भौतिकी, रसायन, जन्तु शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, एवं प्लेट विषयों में शिक्षण/कोचिंग के लिए वांछित योग्यता प्राप्त शिक्षकों को उपलब्ध कराना तथा मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउंसलर उपलब्ध कराना।
- अध्ययन सामग्री, मूल्यांकन सामग्री, ऑनलाइन और साथ ही ऑफलाइन मोड में परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना। अध्ययन सामग्री निर्धारित मापदंड के अनुसार होनी चाहिये जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके।
- छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का अवलोकन एवं कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान।

7. कार्यप्रणाली

शिक्षण एवं कोचिंग की कार्यप्रणाली निम्नानुसार है :-

- न्यूनतम निर्धारित संयुक्त अवधि (घंटों) का शिक्षण प्रतिदिन करना। विज्ञान संकाय हेतु निर्धारित अवधि 26 घंटे हैं। इस अवधि में शिक्षक को 11वीं एवं 12वीं की कक्षा लेनी है तथा राष्ट्रीय स्तर की अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी भी करानी है।
- भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित/जीव विज्ञान की 03 नियमित कक्षाएँ (प्रत्येक 90 मिनट) लगाना।
- प्रति दिवस शिक्षण में 2 घंटे प्रतिदिन की शंका समाधान कक्षा (डाउट क्लास) अनिवार्यतः कराना। यह कक्षा उसी शिक्षक को लेनी है जिसने संबंधित विषय पढ़ाया है।
- हिंदी एवं अंग्रेजी की कक्षाएँ एक-एक दिन के अंतराल में 90 मिनट की लेनी हैं।
- कक्षा 11वीं एवं 12वीं तथा प्रवेश परीक्षाओं का टेस्ट साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर लेना है।
प्रवेश परीक्षा के एक माह पूर्व संपूर्ण पाठ्यक्रम से दो या तीन परीक्षाएँ लेनी हैं।
- प्रत्येक बैच की प्रगति निम्न प्रकार से अवलोकित की जायेगी :-
 - बैचवार आधारित
 - छात्रवार आधारित
 - विषयवार आधारित
 - सी.बी.एस.ई. के पैटर्न पर आधारित शैक्षणिक मापदंडों पर निरंतर और व्यापक मूल्यांकन (CCE)
- विद्यालय को सौंपे गये शिक्षक पूर्णकालिक रहेंगे तथा किसी अन्य से संबद्ध नहीं होंगे।
- शिक्षको का प्रतिस्थापन (बदलना) सामान्यतः स्वीकार नहीं है। केवल विशेष परिस्थिति में कलेक्टर की अनुमति से यह किया जा सकता है।
- शिक्षक को तब प्रतिस्थापित किया जा सकता है जब उसके पक्ष में प्रतिक्रिया निर्धारित स्तर तक नहीं है। इसे दो सप्ताह के पूर्व सूचना के आधार पर किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में शिक्षण/लेक्चर में व्यवधान स्वीकार्य नहीं है।
- विद्यालय में सभी शिक्षकों को नियम तथा अनुशासन का पालन किया जाना है।
- चयनित संस्था द्वारा विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के परामर्श अनुसार कक्षा समय-सारिणी का निर्धारण करना है।
- कक्षा में शिक्षण की भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी का मिश्रण रहेंगी।
- चयनित संस्था को शिक्षको के आवास की व्यवस्था विद्यालय के बाहर करनी होगी।
चयनित संस्था को विद्यालय/छात्रावास परिसर तक गमन अपने व्यय पर करना होगा।
- समय-समय पर आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के निर्देशों का पालन करना होगा।

8. शिक्षकों के लिए अनिवार्य वांछित योग्यताएँ

शिक्षकों की वांछित योग्यताएँ निम्नानुसार हैं :-

क्र.	विषय	विज्ञान, (गणित एवं जीव विज्ञान) के शिक्षकों की संख्या प्रति विद्यालय	विधि (क्लेट) के लिए प्रति विद्यालय शिक्षकों की संख्या	संबंधित विषय में अनिवार्यतः शिक्षण अनुभव तथा कालम 6 के अनुसार योग्यताएँ	अनिवार्य योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	गणित	02	—	03 वर्ष	गणित में M.Sc./ M.Tech किसी भी IITs से 01 शिक्षक एवं M.Sc./ M.Tech किसी भी NITs से 01 शिक्षक
2	भौतिकी	02	—	03 वर्ष	भौतिक में M.Sc./ M.Tech किसी भी IITs से 01 शिक्षक एवं M.Sc./ M.Tech किसी भी NITs से 01 शिक्षक
3	रसायन शास्त्र	02	—	03 वर्ष	रसायन में M.Sc./ M.Tech किसी भी IITs से 01 शिक्षक एवं M.Sc./ M.Tech किसी भी NITs से 01 शिक्षक संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
4	वनस्पति शास्त्र	01	—	03 वर्ष	सरकारी संस्था से MBBS या सरकारी संस्था से BDS या संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
5	जन्तुविज्ञान	01	—	03 वर्ष	सरकारी संस्था से MBBS या सरकारी संस्था से BDS या संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
6	हिन्दी	01	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
7	अंग्रेजी	01	01	03 वर्ष	संबंधित विषय में UGC-NET उत्तीर्ण
8	क्लेट (विधि)	—	04	03 वर्ष	एल.एल.एम. के साथ तार्किक योग्यता, गणित, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन की जानकारी हो। तथा क्लेट की कोचिंग का 03 वर्ष का अनुभव हो।
9	मनोवैज्ञानिक/कैरियर काउंसलर	01	—	—	संबंधित विषय में भारत सरकार/ UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
	योग	11	06		

9. कक्षा का आकार तथा विषय

प्रत्येक कक्षा में 45 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिये। विषय निम्नानुसार हैं :-

- विज्ञान (गणित एवं जीव विज्ञान)
- क्लेट

10. सेवा-काल तथा अनुबंध काल

सेवा-काल वर्तमान शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने की तिथि से प्रारंभ होगा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की काउंसलिंग की अंतिम तिथि से समाप्त होगा। कोचिंग संस्था अपने शिक्षकों को कार्यमुक्त करने हेतु स्वतंत्र है, निम्न परिस्थितियों को छोड़कर :-

- विज्ञान — तीन शिक्षक जिनमें से एक गणित विषय, एक जीव-विज्ञान विषय, तथा एक काउंसलर (परामर्शदाता)
- क्लेट — दो शिक्षक जिनमें से एक एल.एम.एम. तथा एक काउंसलर (परामर्शदाता)।

यह अनुबंध का हिस्सा होगा।

11. महत्वपूर्ण प्रदेय

- अनिवार्य वांछित योग्यताओं से युक्त शिक्षक
- बैचवार, कक्षा-खंडवार, छात्र-वार, विषयवार, प्रगति रिपोर्ट जो कि मासिक/त्रैमासिक/अर्द्ध-वार्षिक/ प्री-वार्षिक, प्री-बोर्ड, टेस्ट तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।
- कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों की परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा जैसे - IIT-JEE (main/advance), NEET, PET तथा CLAT के परिणाम।
- सभी छात्रों तथा शिक्षकों के उपस्थिति रिकार्ड जिनमें शिक्षण काल (घंटे) प्रति शिक्षक प्रति माह सम्मिलित होंगे।

12 भुगतान प्रणाली

चयनित संस्था का भुगतान छै: किश्तों में किया जायेगा। निम्न तालिका में प्रदर्शित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा प्रदेयों के प्रदान करने (milestone)के आधार पर किश्तें जारी की जाएंगी।

किश्त संख्या	अनुबंध राशि का (प्रतिशत)	माइलस्टोन (लक्ष्य)	महत्वपूर्ण प्रदेय / दस्तावेजीकरण
A	B	C	D
1	10 प्रतिशत	प्रथम चरण - सभी शिक्षकों की तैनाती	1. बैंक गारंटी जो कि कुल अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत है की प्रस्तुति 2. सहायक आयुक्त द्वारा प्रमाणित प्रदेय 11 (a)
2	10 प्रतिशत	द्वितीय चरण - प्रथम शैक्षणिक सत्र के प्रथम तीन माह पूर्ण होने पर	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (d)
3	15 प्रतिशत	तृतीय चरण - प्रथम शैक्षणिक सत्र की 31 जनवरी तिथि	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (d)
4	20 प्रतिशत	चतुर्थ चरण - प्रथम 3 माह के पूर्ण होने या द्वितीय शैक्षणिक सत्र की 30 सितंबर की तिथि, जो भी पहले हों।	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (c) 3. प्रदेय 11 (d)
5	20 प्रतिशत	पंचम चरण - द्वितीय शैक्षणिक सत्र को 31 जनवरी की तिथि	1. प्रदेय 11 (b) 2. प्रदेय 11 (d)
6	25 प्रतिशत	षष्ठम चरण - परिणामों की घोषणा तथा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर	1. प्रदेय 11 (c) 2. प्रदेय 11 (d)

सभी भुगतान संस्था के प्राचार्य, सहायक आयुक्त की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात किया जाएगा। 6वीं किश्त (अंतिम भुगतान) कलेक्टर की स्वीकृति के बाद जारी की जायेगी।

एजेंसी द्वारा सेवा के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिये विभाग द्वारा पहली किश्त के विरुद्ध बैंक गारंटी प्राप्त की जायेगी। बैंक गारंटी की अवधि अनुबंध समाप्ति की तिथि से 6 माह बाद तक की होगी।

13. मुख्य प्रदर्शन सूचक (KPI) (Key performance Indicators)

संस्था को भुगतान लक्ष्य (माइलस्टोन) की प्राप्ति के अनुसार होंगे। भुगतान में समायोजन KPI आधारित होंगे।

KPI निम्न होंगे :-

KPI-1:- शिक्षकों द्वारा शिक्षण के घंटे :-

यह निम्न प्रकार से गणना की जायेगी -

(माह में सभी शिक्षकों द्वारा शिक्षण घंटों की वास्तविक संख्या) ÷ (कैलेंडर माह में शैक्षणिक दिनों की संख्या X अनुबंध के अनुसार प्रतिदिन शिक्षण के घंटे)

KPI-2:- छात्रों की आवधिक (Terminal Examination) परीक्षाओं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रारूप में आयोजित की गई है के परिणाम

आवधिक परीक्षा का अर्थ, (त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक तथा प्री-बोर्ड/प्री-फाइनल परीक्षा) यह KPI निम्न प्रकार से गणना की जाएगी -

संबंधित वर्ग के लिये निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ से उपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या $\div$ बैच में कुल छात्रों की संख्या

आवधिक परीक्षाओं में प्रश्न पिछले पांच वर्षों में संबंधित प्रवेश परीक्षा की फाइनल परीक्षाओं से रहेंगे। तथा आवधिक परीक्षाओं का मूल्यांकन विभाग के निरीक्षण के अनुसार होगा।

KPI -3:-कक्षा 11 वीं तथा 12 वीं बोर्ड के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम।

यह KPI निम्न प्रकार से गणना कि जायेगी -

प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के द्वारा संबंधित वर्ग के अनुसार न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या $\div$ बैच में कुल छात्रों की संख्या

KPI - 4 :- छात्रों के प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम

इस KPI की गणना के लिए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के चयन के लिए न्यूनतम मानदंड (बेन्चमार्क) चयन प्रतिशत निम्न प्रकार से किये जायेंगे।

चयन का गुण	परीक्षा का प्रकार	मानदंड (बेन्चमार्क) चयन का प्रतिशत
	विज्ञान के लिये	
A	IIT/ AIIMS/MBBS (अखिल भारतीय कोटा) के लिए	16%
B	NIT/IIT/CGFTI/MBBS (राज्य कोटा)/ IITs द्वारा एकीकृत MBA	40%
C	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय /BDS/BPT/BAMS/BHMS/CLAT	44%

Step-1 प्रत्येक ग्रुप के लिए छात्रों की मानदंड (बेंचमार्क) संख्या की गणना -

यह निम्न प्रकार से गणना कि जायेगी :-

(विज्ञान या क्लेट से संबंधित बेंच के छात्रों की संख्या) × (प्रत्येक ग्रुप के लिए बेंचमार्क %))

Step-2 अनुकमित प्रभावित चयनितों की गणना

(ग्रुप A के चयनितों की वास्तविक संख्या ÷ ग्रुप A के छात्रों की बेंचमार्क संख्या) × 1.5
+

(ग्रुप B के चयनितों की वास्तविक संख्या ÷ ग्रुप B के छात्रों की बेंचमार्क संख्या) × 1.0
+

(ग्रुप C के चयनितों की वास्तविक संख्या ÷ ग्रुप C के छात्रों की बेंचमार्क संख्या) × 0.5

Step-3 KPI की गणना -

(अनुकमित प्रभावित चयनितों की गणना) ÷ 3

KPI-5:- शिक्षकों का प्रतिस्थापन

प्रत्येक शिक्षक के प्रतिस्थापन, (विभाग द्वारा प्रस्तावित प्रतिस्थापन को छोड़कर) प्रत्येक चयनित संस्था से (रु. 10,000/-) काटे जायेंगे।

इस KPI की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी -

(प्रतिस्थापनों की संख्या) KPI के सूत्र "या" कार्य क्षेत्र की शर्तों में चूक (KPI-1 से KPI-4 को छोड़कर) × 10000.00

यदि KPI 1, KPI 2, KPI 3, तथा KPI 4 का मान 1 से अधिक है, तो गणना के लिए उसे 1 माना जायेगा।

संस्था को देय राशि का समायोजन KPI के प्राप्त होने के अनुसार होगा। KPI के लिए किशतों का समायोजन निम्न प्रकार से होगा।

किशत संख्या	माइलस्टोन	KPI जिनका समायोजन किया जाना है	भुगतान
1.	माइलस्टोन-1	निरंक	प्रथम किशत की पूर्ण राशि
2.	माइलस्टोन-2	KPI-1 KPI-2 KPI-5	द्वितीय किशत की राशि X KPI-1 तथा KPI-2 का औसत (-) KPI-5
3.	माइलस्टोन-3	KPI-1 KPI-2 KPI-5	तृतीय किशत की राशि X KPI-1 तथा KPI-2 का औसत (-) KPI-5
4.	माइलस्टोन-4	KPI-1 KPI-2 KPI-3 KPI-5	चतुर्थ किशत की राशि X (KPI-1 × 0.25) + (KPI-2 × 0.25) + (KPI-3 × 0.5) (-) KPI-5
5.	माइलस्टोन-5	KPI-1 KPI-2 KPI-5	पांचवी किशत की राशि X KPI-1 तथा KPI-2 का औसत (-) KPI-5
6.	माइलस्टोन-6	KPI-3 KPI-4 KPI-5	छठवी किशत की राशि X (KPI-3 × 0.2) + (KPI-4 × 0.8) (-) KPI-5

किरी व्यक्तिगत किशत का योग भुगतान प्रणाली पैराग्राफ की तालिका में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।

14. सुरक्षा निधि

संस्था द्वारा 5.00 लाख की सुरक्षा निधि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन के साथ जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट सहायक आयुक्त आदिवारी विकास बिलासपुर के पक्ष में देय होगा। जिन संस्थाओं का अंतिम चयन नहीं होगा, उन्हें बैंक ड्राफ्ट चयन प्रक्रियापूर्ण होने के पश्चात् विमुक्त कर दिया जाएगा। चयनित/अनुबंधित संस्था का बैंक ड्राफ्ट बैंक गारंटी प्राप्त होने पर/ अनुबंध अवधि समाप्त होने पर विमुक्ति योग्य होगा।

इसके मानदंडों में यदि परिवर्तन किया जाता है तो उसका उल्लेख उस वर्ष हेतु प्रकाशित रुचि की अभिव्यक्ति में किया जाएगा।

15. रुचि की अभिव्यक्ति का प्रस्तुतीकरण

प्रस्ताव को निम्न रूप से प्रस्तुत किया जायेगा :-

- प्रस्ताव में एनक्जर (Annexures) द्वारा वर्णित सभी दस्तावेज सम्मिलित हो।
- 'रुचि की अभिव्यक्ति' को तैयार करने में उम्मीदवार से अपेक्षित है कि अपने दस्तावेजों का विस्तृत अवलोकन करें। दस्तावेज में पाई गई कमियों के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- आवेदक को 'रुचि की अभिव्यक्ति' को तैयार और प्रस्तुत करने का व्यय स्वयं वहन करना होगा तथा विभाग इस व्यय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा चाहे चयन प्रक्रिया का परिणाम कुछ भी हो। विभाग किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है उसे चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का पूर्ण अधिकार है तथा इसमें वह आवेदक के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।
- आवेदक के एक अधिकृत प्रतिनिधि को प्रत्येक दस्तावेज में मोहर के साथ हस्ताक्षर करना है। अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र लिखित रूप में होगा तथा प्रस्ताव में संलग्न होगा।
- 'रुचि की अभिव्यक्ति' में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा मोहर होना चाहिए।
- प्रस्ताव के लिफाफे एवं अन्य पैकेट उचित रूप से सीलबंद या सही पता अंकित नहीं होने पर गुमने तथा पहले ही खोले जाने की जवाबदेही विभाग की नहीं होगी।
- 'रुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित करने वाले नोटिस में लिखित पते एवं निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्ताव विभाग तक पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्ताव विभाग द्वारा विलंबित एवं अस्वीकार घोषित कर दिये जायेंगे तथा बिना खोले ही वापस कर दिये जायेंगे।

16. गोपनीयता

- 'रुचि की अभिव्यक्ति' खोले जाने के समय से चयन की घोषणा के समय तक, आवेदक विभाग से अपने 'रुचि की अभिव्यक्ति' के मूल्यांकन के विषय में संपर्क नहीं करेगा। रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के मूल्यांकन या मूल्यांकन में सुझावों के विषय में आवेदकों या किसी अन्य अनाधिकृत संस्था के संबंध में जानकारी चयन की घोषणा से पूर्व नहीं दी जायेगी।
- आवेदक या उनके प्रतिनिधि यदि इक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) के मूल्यांकन को लेकर विभाग को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो उनके EOI को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

17. चयन की प्रक्रिया

- आवेदकों को अपने प्रस्ताव में प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए उपयुक्त प्रारूप दिखाना होगा। प्रस्तावित नमूना (Model) में दृष्टिकोण (Model) एवं कार्यप्रणाली Model के संवर्धन के लिए उन्नत उपाय, उन्नत तकनीकों तथा प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग सम्मिलित होना चाहिये। प्रस्तावित Model का मूल्यांकन दस्तावेज तथा प्रस्तुतीकरण पर आधारित होगा।
- दो चरणों की प्रक्रिया जिसमें तकनीकी योग्यता तथा उसके बाद गुणवत्ता एवं मूल्य आधारित तंत्र (QCBS) का पालन किया जाएगा तथा तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों को अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में लिया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन को पहले तथा उसके बाद वित्तीय प्रस्तावों को खोला जायेगा।
- विभाग द्वारा एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन करेगी कि उपरोक्त प्रस्ताव वांछित आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं या नहीं। यह तय करने के लिये कमेटी आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करेगी और उसे इस EOI में वर्णित वांछित आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यांकन करेगी। यदि वांछित दस्तावेजों का प्रमाण नहीं दिये गये तो आवेदन अस्वीकार किये जा सकते हैं।
- प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। कमेटी आवेदकों से उनके प्रस्तावों के स्पष्टीकरण हेतु बैठक कर सकती है। इस प्रक्रिया के अलावा कमेटी से चर्चा हेतु किसी भी अन्य प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं होगा।
- इस दस्तावेज में वर्णित आवश्यकताओं तथा मापदंडों के अनुसार ही प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा।
- तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा :-
 - दस्तावेज आधारित मूल्यांकन (70 अंक) :- दस्तावेज आधारित मूल्यांकन निर्धारित अंकन मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा।
 - आवेदकों द्वारा प्रस्ताव की प्रस्तुति (30 अंक) :- कमेटी EOI के चयनित आवेदकों को एक प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित करेगी। इस प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य आवेदकों के प्रस्तावित Model तथा उनके प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं को मूल्यांकन कमेटी के सामने प्रस्तुत करना है। कमेटी के सदस्यों द्वारा आवेदकों का मूल्यांकन उनके कोचिंग देने की क्षमता के अनुसार होगा।
 - आवेदकों को तकनीकी मूल्यांकन के बाद अंतिम गणना (Score) दस्तावेज आधारित मूल्यांकन तथा प्रस्तुतीकरण स्कोर के आधार पर दिया जाएगा।
- तकनीकी बिड के मूल्यांकन के बाद, वित्तीय बिड खोला जायेगा।
- आवेदकों के ओवरऑल स्कोर की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी :-

न्यूनतम मूल्यांकित वित्तीय प्रस्ताव :Fm को अधिकतम वित्तीय स्कोर (Sf) 100 दिया जाएगा।

अन्य प्रस्तावों के वित्तीय स्कोर (Sf) के सूत्र की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी -

$$\begin{aligned}
 Sf &= 100 \times Fm / F, \\
 \text{जिसमें } Sf &= \text{वित्तीय स्कोर,} \\
 Fm &= \text{न्यूनतम मूल्य,} \\
 F &= \text{प्रस्ताव का मूल्य,} \\
 \text{तकनीकी (T) तथा वित्तीय (P) प्रस्तावों को दिया गया भार निम्न होगा।} \\
 T &= 70\% \\
 P &= 30\%
 \end{aligned}$$

प्रस्तावों की रैंकिंग उनकी संयुक्त तकनीकी (St) तथा वित्तीय (Sf) स्कोरों, भारों का उपयोग (T = तकनीकी प्रस्तावों को दिया गया भार, P = वित्तीय प्रस्ताव को दिया गया भार, T+P = 1) निम्न प्रकार से की जायेगी।

$$S = St \times T\% + Sf \times P\%$$

- i. यदि दो या अधिक आवेदकों को निर्णायक मूल्यांकन में बराबर स्कोर मिलता है। तो कार्य न्यूनतम मूल्य वाले आवेदक को दिया जाएगा।
- j. संयुक्त उद्यम/संघ वाले प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हैं।
- k. यदि किसी फैंचाइजी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो प्राथमिक फैंचाइजी द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उसके साथ अनुबंध किया जाएगा।
- l. तकनीकी बिडो को निर्धारित प्रारूप में जमा करना होगा।
- m. वित्तीय प्रस्ताव केवल उन संस्थाओं के खोले जाएंगे जिन्होंने तकनीकी मूल्यांकन मापदण्ड के न्यूनतम 70% अंक प्राप्त किये हों।
- n. यदि तकनीकी मूल्यांकन में किसी संस्था को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो शीर्ष तीन संस्थाओं को वित्तीय बिड के लिए लिया जाएगा। यदि केवल एक या दो संस्थाएँ हैं तो न्यूनतम अंक न प्राप्त करने वाली संस्थाओं को भी लिया जाएगा।
- o. पहली किश्त जारी होने की बैंक गारंटी प्राप्त होने के बाद चयनित बिडर की अमानती राशि लौटा दी जायेगी। अन्य बिडरों की अमानती राशि चयन प्रक्रिया समाप्त होने के 15 दिनों के बाद लौटा दी जाएगी।

18. पात्रता मापदण्ड –

यह प्रक्रिया निम्न प्रकार से सहयोगी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण तथा छटनी और चयन के आधार पर होगी। दस्तावेज आधारित मूल्यांकन जो कि मूल्यांकन मापदण्ड में लिखित है के आधार पर अंक दिये जाएंगे। वांछित योग्यता प्राप्त न करने वाले आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे।

क्र.	विशेष	न्यूनतम पात्रता मानदण्ड	आवश्यक दस्तावेज
1	स्वामित्व संस्था सहभागिता (पार्टनरशिप) संस्था जो कि भारतीय सहभागिता (पार्टनरशिप) अधिनियम में पंजीकृत है कम्पनी जो कम्पनी अधिनियम में सम्मिलित है ट्रस्ट जो ट्रस्ट अधिनियम में पंजीकृत है।	कम से कम 3 वर्षों से अस्तित्व में हैं।	स्वामित्व के लिए – संबंधित नियम के अंतर्गत कोचिंग देने का लाइसेंस हो। पार्टनरशिप – संस्थाओं के रजिस्ट्रार के द्वारा पंजी. प्रमाणपत्र। सोसायटी – सोसायटी के रजिस्ट्रार तथा उपनियमों के द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र। ट्रस्ट – ट्रस्ट के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीकरण का प्रमाणपत्र। कम्पनी – कम्पनी के रजिस्ट्रार, Memorandum and Articles of Association के द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
2	प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग में पिछले 3 वर्षों से सम्मिलित है (इस EOI में लिखित)	विज्ञान के लिए – 300 छात्रों को पिछले 3 वर्षों से प्रतिवर्ष कोचिंग दी हो क्लेट के लिये – 150 छात्रों को पिछले 3 वर्षों से प्रतिवर्ष कोचिंग दी हो	चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें प्रति वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाणित किया गया हो।
3	इस EOI में संदर्भित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग से प्राप्त टर्नओवर	विज्ञान – औसत टर्नओवर 50 लाख ₹ क्लेट – औसत टर्नओवर 50 लाख ₹ पिछले तीन वर्षों में	पिछले 03 वर्षों के संपरिक्षित वित्तीय विवरण सभी अनुलग्नकों के साथ। कोचिंग गतिविधियों के लिए – एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र जिसमें कोचिंग तथा परीक्षाओं से प्राप्त टर्नओवर हो।
4	शिक्षकों की संख्या	विज्ञान – EOI में वर्णित न्यूनतम 15 शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के लिए। क्लेट – EOI में वर्णित न्यूनतम 10 शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न विषयों के लिए।	स्व-प्रमाणपत्र जिसमें नाम योग्यता तथा शिक्षकों के अनुभव के वर्ष हो।
5	मान्य PAN/Service Tax/GST नम्बर जो सर्विस टैक्स की फाइलिंग में लगते हैं।	पिछले तीन वर्षों के Income Tax Filing एवं Service Tax Return	1. PAN Card की Copy 2. Service tax registration certificate – valid printout of GSTN from the GST portal of Government of India. 3. Copy of service tax returns for past 3 years. 4. Copy of income tax returns for past 3 years.

19. मूल्यांकन मापदण्ड

तकनीकी स्कोर का मूल्यांकन दस्तावेज आधारित पैरामीटर तथा प्रस्तुतीकरण आधारित पैरामीटर के आधार पर किया जायेगा। दस्तावेज आधारित पैरामीटर का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

क्र.	पैरामीटर	अधिकतम अंक	स्कोरिंग का प्रारूप	प्रमाणक दस्तावेज
1	इस EOI में लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के वर्षों के अनुभव	15	प्रथम 3 वर्षों के लिए - 03 अंक तथा उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए - 01 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा 18 के क्र.- 1 अनुसार
2	इस EOI में वर्णित कोचिंग से प्राप्त टर्नओवर	15	प्री - योग्यता प्राप्त करने हेतु टर्नओवर - 05 अंक तथा उसके बाद प्रत्येक दस लाख हेतु - 1 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा 18 के क्र.- 3 के अनुसार
3	कोचिंग संस्थान में पिछले 3 वर्षों में छात्रों की औसत संख्या	10	प्री-योग्यता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हेतु - 05 अंक, उसके ऊपर प्रत्येक 100 छात्रों पर - 01 अंक	पात्रता मापदण्ड के पैरा - 18 के क्र.-02 के अनुसार
4	इस EOI में लिखित वर्ष 2017 की परीक्षाओं में चयनित छात्रों की औसत संख्या	20	विज्ञान विषय - प्रथम 20 छात्रों के लिए - 03 अंक उसके बाद 20 छात्रों के ऊपर प्रत्येक 10 छात्रों के लिए - 01 अंक क्लेट विषय - उपरोक्तानुसार	पात्रता मापदण्ड के पैरा - 18 के क्र. - 2 के अनुसार
5.	शिक्षकों की संख्या	10	विज्ञान विषय- प्रथम 10 शिक्षकों हेतु - 3 अंक विज्ञान - प्रथम 10 शिक्षकों के ऊपर हर 10 शिक्षकों पर - 1 अंक क्लेट विषय - उपरोक्तानुसार	स्व-प्रमाणित सूची जिसमें शिक्षकों के नाम, योग्यता तथा शिक्षण के वर्षों का अनुभव।

संस्था जो पात्रता पूर्व के मापदण्डों को पूरा करते हैं को प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया जाएगा। यदि आवेदकों की संख्या 05 से अधिक है तो, दस्तावेज आधारित मूल्यांकन में शीर्ष 5 संस्थाओं को बुलाया जाएगा। प्रस्तुतीकरण आधारित मूल्यांकन के पैरामीटर निम्न हैं :-

क्र.	पैरामीटर	अधिकतम अंक	स्कोरिंग का प्रारूप	प्रस्तुतीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
6	प्रस्तावित शिक्षक का विषय-ज्ञान तथा विषय पर उसकी समझ और अधिकार	10	प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन	प्रस्तुतीकरण पर आधारित
7	पाठ्य सामग्री हार्ड कापी तथा साफ्ट कापी	05	प्रस्तुतीकरण का निर्णय करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन	पाठ्य सामग्री की Soft copy (non-copyrighted) तथा Online हार्ड कापी
8	दिये गये कार्य का निष्पादन करने हेतु विस्तृत कार्य योजना	05	प्रस्तुतीकरण का निर्णय करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन	EOI के साथ आवेदक द्वारा जमा की गई कार्य योजना
9	प्रस्तावित शिक्षक के गुण	10	प्रस्तुतीकरण का निर्णय करने वाले विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन	EOI के साथ दी गई प्रस्तावित शिक्षकों की सूची

20. EOI का प्रस्तुतीकरण (जमा करना)

- तकनीकी प्रस्ताव पात्रता तथा मूल्यांकन हेतु दस्तावेजों के साथ एक सीलबंद लिफाफे में डाले जाए तथा उसमें "तकनीकी प्रस्ताव" लिखा हो। वित्तीय प्रस्ताव मूलरूप में एक अन्य सीलबंद लिफाफे में डाला जाए उसमें लिखा जाए "वित्तीय प्रस्ताव" साथ ही चेतावनी लिखी जाए "इस तकनीकी प्रस्ताव के साथ ना खोला जाए"। उपरोक्त दोनों लिफाफे एक बड़े सीलबंद लिफाफे में डाले जाएंगे। इस बड़े लिफाफे में लिखा जाए की "किसी अधिकृत व्यक्ति की अनुपस्थिति में न खोले" तथा "विद्यालय का नाम जिसके लिए प्रस्ताव जमा किया गया है तथा विषय " यदि लिफाफे उपरोक्तानुसार जमा नहीं किये गये हैं, तो उनके गुमने या समय से पहले खोले जाने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा। यदि वित्तीय प्रस्ताव को अलग सीलबंद लिफाफे में नहीं दिया जायेगा तो प्रस्ताव को अजवाबदेह माना जाएगा तथा निरस्त कर दिया जाएगा।
- निर्धारित प्रारूप में ही सभी दस्तावेजों को जमा किया जाए। आवेदक को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी संबंधित जानकारीयां भरी गई हैं।
- सभी दस्तावेजों को क्रम में अंकन किया जाए तथा उनका संदर्भ क्रमांक एनक्जर (Annexures) में दिया जाए। यदि पृष्ठ संख्या को एनक्जर (Annexures) से सही ढंग से लिंक नहीं किया गया तो पैरा में अंक नहीं दिये जाएंगे।

प्रारूप-1 आवेदन पत्र का प्रारूप

क्र.	ब्यौरा	विवरण
1.	संस्था/विद्यालय जिसके लिए आवेदन किया गया है।	
2	आवेदक का नाम	
	विधिक प्रस्थिति (लीगल स्टेटस)	
	पंजीकृत कार्यालय	
	दूरभाष क्रमांक	
	ई-मेल पता	
3.	मुख्य अधिकारी (संस्था प्रमुख) का नाम	
	पता	
	दूरभाष क्रं. एवं मोबाईल नम्बर	
	ई-मेल पता	
4.	PAN	
	सेवा कर पंजीकरण क्र.-	
	GST पंजीकरण क्र. (वैकल्पिक)	
5.	क्या किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है, (यदि हाँ, तो किसके द्वारा)	

प्रारूप-2 पूर्व पात्रता हेतु जांच सूची

क्र.	विवरण	न्यूनतम पात्रता मापदण्ड	आवश्यक दस्तावेज	संलग्न पृष्ठ क्र. से पृष्ठ क्र. तक
1.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग बिलासपुर (छ.ग.) के पक्ष में 5000/- रुपये का निविदा शुल्क	-	मांग पत्र मूल रूप में	
2.	5,00,000/- रुपये की अमानती राशि मांग-पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में आवश्यक है।	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, बिलासपुर (छ.ग.) के पक्ष में मांग पत्र	मांग पत्र मूल रूप में	
3.	स्वामित्व संस्था, सहभागिता संस्था जो कि भारतीय सहभागिता अधिनियम में पंजीकृत है कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम में सम्मिलित है ट्रस्ट जो ट्रस्ट अधिनियम में पंजीकृत है।	न्यूनतम में 3 वर्षों से अस्तित्व में हो	स्वामित्व हेतु - संबंधित नियम के अनुसार कोचिंग देने का लाइसेंस। सहभागिता - संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र। सोसायटी - सोसायटियों के रजिस्ट्रार तथा उपनियमों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र ट्रस्ट - ट्रस्टों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीयन का प्रमाण।	
4.	(इस EOI में सूचीबद्ध किये जाने के अनुसार) प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग में संलग्न	विज्ञान के लिए- पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 300 छात्रों को कोचिंग दी। क्लेट के लिए- पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष 150 छात्रों को कोचिंग दी।	एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा छात्रों की संख्या एवं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या प्रमाणित करता हुआ प्रमाण पत्र।	
5.	इस EOI में संदर्भित कक्षाओं की कोचिंग गतिविधियों से प्राप्त लाभ (टर्नओवर)	विज्ञान के लिए- पिछले 3 वर्षों में औसत 50 लाख का लाभ (टर्नओवर) क्लेट के लिए- पिछले 3 वर्षों में औसत 50 लाख का लाभ (टर्नओवर)	पिछले 3 वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय विवरण सभी अनुलग्नकों के साथ। चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी कोचिंग गतिविधियों तथा परीक्षाओं से प्राप्त लाभ (टर्नओवर) का प्रमाण पत्र	
6.	शिक्षकों की संख्या	विज्ञान EOI में सूचीबद्ध विषयों के 10 शिक्षक क्लेट EOI में सूचीबद्ध विषयों के 10 शिक्षक	स्व - प्रमाणित सूची जिसमें नाम योग्यता तथा शिक्षकों के अनुभव के वर्षों की संख्या हो।	

7.	वैद्य PAN/सेवाकर/GST No regular in Filing of Service tax	पिछले 3 वर्षों के आयकर एवं सेवा कर रिटर्न को फाइलिंग	1. पैन कार्ड की कापी 2. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं GST Portal से GSTN का गान्य प्रिंटआउट। 3. पिछले 3वर्षों के सेवाकर रिटर्न की प्रति। 4. पिछले 3वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति।	
8.	पैरा 15(d) में दी गई शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि का अधिकार	-	मूल रूप में प्रतिनिधि का अधिकार	

प्रारूप-3 दस्तावेज आधारित मूल्यांकन हेतु जांच सूची

क्र	पैरामीटर	प्रमाणित दस्तावेज	संलग्न पृष्ठ सं. से पृष्ठ सं. तक
1.	कोचिंग प्रतियोगी परीक्षा के अनुभव के वर्षों की संख्या EOI के अनुसार	स्वामित्व के लिए संबंधित नियम के अनुसार कोचिंग लेने का लाइसेंस। सहभागिता: संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र। सोसायटी: सोसायटियों के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र ट्रस्ट: ट्रस्टों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी ट्रस्ट के पंजीकरण का प्रमाण।	
2.	इस EOI के अनुसार कोचिंग गतिविधियों से प्राप्त लाभ (टर्नओवर)	पिछले 3 वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय विवरण सभी अनुलग्नकों के साथ। कोचिंग गतिविधियों हेतु: विभिन्न विषयों की कोचिंग से प्राप्त लाभ (टर्नओवर) को प्रमाणित करता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणपत्र	
3.	पिछले 3 वर्षों के दौरान कोचिंग संस्था में छात्रों की औसत संख्या (इस EOI के अनुसार परीक्षाओं के लिए)	प्रत्येक वर्ष छात्रों की संख्या तथा उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को प्रमाणित करता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जारी प्रमाणपत्र (प्रारूप-4 के अनुसार)	
4.	इस EOI के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की औसत संख्या	प्रत्येक वर्ष उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को प्रमाणित करता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा जारी प्रमाणपत्र (प्रारूप-4 के अनुसार)	
5.	शिक्षकों की संख्या	स्व-प्रमाणित सूची जिसमें नाम, योग्यता तथा शिक्षकों के अनुभव के वर्षों की संख्या हो। (प्रारूप-5 ए. के अनुसार)	
6.	प्रस्तावित शिक्षक का ज्ञान तथा विषय पर उनकी समझ तथा अधिकार	प्रस्तुतीकरण पर आधारित	अप्रासंगिक (not Applicable)
7.	पाठ्य सामग्री: हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी	पाठ्य सामग्री की हार्ड तथा सॉफ्ट कॉपी	
8.	सौंपे गये कार्य के निष्पादन की विस्तृत कार्य योजना	EOI के साथ आवेदक द्वारा जमा की गई कार्य योजना	
9.	प्रस्तावित शिक्षक के गुण	EOI के साथ प्रस्तावित शिक्षकों की सूची (प्रारूप-5 बी. के अनुसार)	

प्रारूप-4, CA प्रमाण पत्र का प्रारूप
(सी.ए. कम्पनी (फर्म) के लेंटर हेड में जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स के दिए गए विवरण उनके द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज के अनुसार सत्य एवं उचित है।

वर्ष	विषय	दाखिल छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत	लाभ (टर्नओवर)
2015-16	गणित				<< Single Figure >>
	जीवविज्ञान				
	क्लेट				
	योग				
2016-17	गणित				<< Single Figure >>
	जीवविज्ञान				
	क्लेट				
	योग				
2017-18	गणित				<< Single Figure >>
	जीवविज्ञान				
	क्लेट				
	योग				

टीप-1 :- जिन संस्थाओं के आंकड़े वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध नहीं हैं, वे वर्ष 2014-15 का विवरण दे सकते हैं।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

CA संस्था का नाम एवं पंजीकरण संख्या
 नाम तथा सदस्यता संख्या (सदस्य की)

प्रारूप-5 ए : कार्यरत शिक्षक

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	संस्था का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की है।	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत अंक	अनुभव (वर्षों में)	विशेषज्ञता का विषय
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रारूप-5 बी : प्रस्तावित शिक्षक

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	संस्था का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की है।	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत अंक	अनुभव (वर्षों में)	विशेषज्ञता का विषय
1	2	3	4	5	6	7	8

टीप :- प्रतिस्थापित शिक्षकों की कटौती मुख्य प्रदर्शन सूचक (KPI-5) के अनुसार होगी। प्रतिस्थापित/प्रतिस्थापन शिक्षकों की योग्यता जो कालम संख्या 5ए, व 5बी, में निर्देशित हैं। का नोटरी द्वारा प्रमाण पत्र बोलीकर्ता के द्वारा संलग्न करना होगा।

प्रारूप - 6 वित्तीय प्रस्ताव का प्रारूप

(आवेदक के लैटरहेड में जारी किया जाना है)

EOI आमंत्रित किये गये नोटिस के संदर्भ में शैक्षणिक सत्र 2018-19 तथा 2019-20 में प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर के शिक्षकों की संस्था के चयन हेतु वित्तीय बोली।

दिनांक

विद्यालयों के नाम जिसके लिए प्रस्ताव जमा किया जाना है :- . . .

क्र.	कार्य का नाम	दो अकादमिक वर्षों जैसे 2018-19 और 2019-20 के लिए सभी समावेशी प्रति छात्र समेकित दर GST को छोड़कर, (राशि रुपये में)	राशि शब्दों में
1.	गणित, जीव-विज्ञान तथा प्लेट		

- टीप :- 1. उपरोक्त उद्धृत मूल्य GST को छोड़कर होनी चाहिए।
 2. बोली मूल्य जमा किये जाने के बाद 180 दिन तक के लिये वैध होगा।
 3. बोली मूल्य में सुधार या अधिलेखन की स्थिति में इसे निरस्त किया जा सकता है।

स्थान -

दिनांक -

हस्ताक्षर
 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पद
 कार्यकारी मुहर